## THE PAYMENT OF GRATUITY (AMENDMENT) BILL, 1997

**श्रम मंत्री (डा॰ सत्यनारायण जटिया)**: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि:-

"उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में और संशोधन किए जाने संबंधी विधेयक विचारार्थ लिया जाए।"

उपसभाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्यगण जानते ही होंगे कि उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में कारखानों, खानों, बगानों, तेल क्षेत्रों, पत्तनों, रेलवे कम्पनियों, दुकानों और कतिपय अन्य प्रतिष्ठानों में नियोजित कर्मचारियों को उपदान के भुगतान और इनसे संबंधित मामलों के लिए एक योजना का प्रावधान है।

अधिनियम के अंतर्गत उपदान का भुगतान अधिवर्षिता, सेवा-निवृत्ति अथवा नौकरी से त्याग-पत्र देने की स्थिति में किया जाता है बशर्ते कि पांच वर्ष की सेवा पूरी की गई हो। तथापि, पांच वर्षों की सेवा पूरी करने की शर्त मृत्यु अथवा विकलांगता की वजह से रोजगार समाप्त होने के मामले में लागू नहीं होती है। गैर मौसमी प्रतिष्ठानों में कर्मचारी प्रत्येक पूर्ण वर्ष अथवा छः माह से अधिक के एक भाग की सेवा के लिए 15 दिनों की मजदूरी की दर पर उपदान के रूप में पाने के पात्र हैं। जबकि मौसमी प्रतिष्ठानों में कर्मचारी प्रत्येक मौसम के लिए 7 दिनों की मजदूरी उपदान के रूप में पाने के पात्र हैं। साथ ही उपदान संदाय की उच्चतम सीमा एक लाख रुपए तक है। इस सीमा में संशोधन करने की बात कर्मचारियों की ओर से समय-समय पर उठाई जाती रही है।

इस संबंध में दिए गए विभिन्न सुझावों और सिफारिशों पर विचार किया गया था और शुरू में उपदान की अधिकतम राशि की उच्चतम सीमा एक लाख रुपए से बढ़ाकर ढ़ाई लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया गया था और तदनुसार राज्यसभा में एक विधयेक पेश किया गया था। श्रम और कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने विधेयक की जांच की और सिफारिश की कि उपदान की अधिकतम राशि की उच्चतम सीमा को और बढ़ाकर ढ़ाई लाख रुपए से साढ़े तीन लाख रुपए कर दिया जाए। सरकार ने समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और इसलिए अब उपदान की अधिकतम राशि की उच्चतम सीमा को एक लाख रुपए से बढ़ाकर साढ़े तीन लाख रुपए करने का प्रस्ताव है।

संक्षेप में यह विधेयक के माध्यम से प्रस्तावित संशोधन है। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्यगण इस प्रस्तावित संशोधन का स्वागत करेंगे जो कि निर्विवाद स्वरूप का है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधेयक को सदन के विचारार्थ रखता हूं।

*The question was proposed*

**श्री राघवजी (मध्य प्रदेश)**: उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं क्योंकि यह सामाजिक न्याय की तरफ एक बड़ा कदम है। मंत्री जी काफी उदार रहे हैं इस मामलें में। महोदय, 1994 में ग्रेच्युटी के भुगतान की उच्चतम सीमा एक लाख रुपए थी। उस समय धारा 4(3) में यह व्यवस्था थी कि किसी भी कर्मचारी को उसकी सेवा निवृत्ति के समय एक लाख रुपए से अधिक ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जा सकता। स्थायी समिति ने इसे बढ़ाकर साढ़े तीन लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया था जिसे माननीय मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। वैसे 1994 और आज के मूल्य सूचकांक को देखा जाए तो ढ़ाई लाख रुपए की सीमा भी काफी थी लेकिन उदारता का परिचय देते हुए मंत्री जी ने इसे साढ़े तीन लाख रुपए तक ले जाना स्वीकार कर लिया है।

महोदय, यहां मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि ग्रेच्युटी का जो भुगतान होता है, यदि वह रिटायरमेंट के दिन कर दिया जाए तो सोने में सुहागा हो जाएगा। अभी रेलवे में ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि जब कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो उसकी पैंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड जो कुछ भी बनता है, उसका सीनियर अधिकारी उसे बुलाता है, एक कप चाय पिलाता है और उसके आगे भुगतान का चैक रख देता है। इससे उस व्यक्ति को कितनी प्रसन्नता होती है।

महोदय, यह काम आसानी से किया जा सकता है क्योंकि यह तो हर विभाग को पता रहता है, हर कारखाने और हर संस्था को पता रहता है कि कौन कर्मचारी कब रिटायर होने वाला है। यदि एक वर्ष पूर्व की इसकी गणना कर ली जाए, उसकी फाईल तैयार कर ली जाए और जिस दिन उसकी सेवानिवृत्ति के मौके पर फेयरवैल पार्टी होती है, उस दिन उसे ग्रेच्युटी का चैक दे दिया जाए तो यह अत्यंत उत्तम व्यवस्था होगी और इसे करने में कोई कठिनाई भी नहीं है।

महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि ग्रेच्युटी के भुगतान के संबंध में भी अनेक समस्याएं आती हैं, उसकी राशि निर्धारण के संबंध में भी अनेक समस्याएं सामने आती हैं लेकिन इसके लिए कोई कोर्ट की व्यवस्था नहीं है, न्यायालय की व्यवस्था नहीं है और इसका फैसला अधिकारीगण ही करते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि

आगे चलकर आप कोई संशोधन करें कि इसके लिए कोर्ट की व्यवस्था हो सके तो बहुत अच्छा होगा।

महोदय, मैं फिर से इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यदि आप ग्रेच्युटी के भुगतान की व्यवस्था रिटायरमेंट के दिन या रिटायरमेंट के एक महीने के भीतर करने की व्यवस्था करेंगे तो इससे कर्मचारियों को काफी सुविधा हो जाएगी और आपकी भी प्रशंसा होगी। आशा है कि आप मेरे इन सुझावों को स्वीकार करेंगे। धन्यवाद।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): Sir, today only I have seen an editorial against the hon. Minister. This editorial is against him because he has talked about contract labour for jobs of perennial nature. It has been stated that this should not be allowed and he has been snubbed. I would like to know as to how long he can withstand this pressure. So, this is the problem and we are talking about gratuity. The way the contractualisation of labour is taking place in all sort of industries, I do not know how long we can give gratuity to people. I wish that this will not be only for public consumption. The hon. Minister should try to see to it that the contractualisation of labour is stopped to the extent possible. This social security that is being provided to the working class will be of no use if contractualisation of labour goes on like this. This time I want a specific assurance from the Minister. The Industry Minister was here. I would like to inform that about 1500 employees Jessops who retired in 1995 have not got their gratuity so far. I would like to know from the Minister whether he would pay a little attention to this aspect. Sir, 1500 employees...(*Interruptions*)....Mr. Malhotra...(*Interruptions*)...

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): वह आपकी बात सुन रहे हैं ...(व्यवधान)... मैं याद दिला दूंगा ...(व्यवधान)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: I want an assurance on this....(*Interruptions*)...Sir, about 1500 people have not got their gratuity since they retired in 1995. What is this coverage of Rs. 1.5 lakh which you are talking about? Again on the same issue, I would like to know—this is not a question of months; this is a question of a day—whether the new hon. Minister has got any intention to do it and talk to the Ministry of Industry as to how long this *tamasha* will go on because, on the one hand, you have this Gratuity Bill, and on the other hand, about 1500 people have not been paid their gratuity. A note from the Labour Ministry should go to the Ministry of Industry today itself. Otherwise, all this purpose will not be served. I have got figures before me. In NTC many employees have been given retirement under VRS, Voluntary Retirement Scheme. What a contradiction is going on; on the one hand, you are increasing the age of retirement from 58 years to 60 years and, on the other hand, people are being forced to take voluntary retirement...(*Interruptions*)...

SHRI RAGHAVJI: It is a voluntary scheme....(*Interruptions*)...It is not forced....(*Interruptions*)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: I can show your the circular in this regard. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Please go ahead...(Interruptions)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: They have been forced to take voltuntary retirement. ...(*Interruptions*)... They have made an association known as Association of Voluntarily Retired Employees...(*Interruptions*)... I want to give this information to Mr. Raghavji. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): He is not a Minister.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: He was just now talking about the voluntary retirement scheme. ... (*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Please address the Chair. ... (*Interruptions*)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: I know that I have to address the Chair. ... (*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): You know that but you do not do that. ... (*Interruptions*)... That creates problem. ... (*Interruptions*)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, I was saying that the voluntarily retired employees have formed an association to get their gratuity and provident fund in time. ... (*Interruptions*)...

If he had not raised it, I would have sat down. ... (*Interruptions*)... This voluntary retirement has been forced in a particular company, namely, the Bharat Process Mechanical and Engineering Company under the Ministry of Industry. They say, "By 31st May if you do not take voluntary retirement from 1st June onwards, there will be suspension of operation." What social security are you talking about? ... (*Interruptions*)... Anyway, I am happy that this ceiling will now be Rs. 3.5 lakh. But when the ceiling of Rs. 2.5 lakh was introduced earlier for the Central Government employees, the effective date was 1.4.95. Now this is being changed to Rs. 3.5 lakh and the effective date is 1.4.97. I think this is a discrimination between the employees of the Central Government and others. This is a discrimination and this should not there. They have got it with effect from 1.4.95 and the ceiling is Rs. 2.5 lakh. I would like to know whether the Minister would give an assurance that this discrimination will not be there and like the employees of the Central Government, others will also get it with effect from 1st April, 1995. This is what I would like the Minister to do. Thank you.

**प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा** (दिल्ली) : मेरा यह कहना है कि यदि यह जल्दी खत्म हो जाए तो बजट के लिए केबिनेट की मीटिंग चार बजे शुरू हो गई है और इसलिए.....

**उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी)** : यह जल्दी खत्म हो जाएगा।

**प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा** : चार बजे वह शुरू हो गई है और उसमें सब केबिनेट मिनिस्टर होने चाहिए। फिर यह कहा जाएगा कि हाऊस में कोई केबिनेट मिनिस्टर नहीं है और नॉर्मल प्रैक्टिस तो यह रही है कि चार बजे हाऊस एडजॉर्न करते रहे हैं ताकि पांच बजे सदस्य बजट को सुनने लोक सभा लॉबी में जा सकें और सभी मैम्बर्स की यह राय भी है।

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): You can adjourn the House, Sir.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Yes, Sir. Why should we pass the Bill without discussion, when the House is to be adjourned for the Budget? We can discuss it tomorrow.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Then, will we adjourn to meet at 6.30 again for the Budget and take up this also?

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: No, no, we can take it up tomorrow.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): So, you want to take this up tomorrow. Shri Gurudas Das Guptaji, for all important things you want more discussion. So, since this is the wish of the House, the House is adjourned till 6.30 P.M. today when the Budget papers are placed on the Table of the House.

The House then adjourned at six minutes past four of the clock.

The House reassembled at one minute past seven of the clock, **The Vice-Chairman (Shri Triloki Nath Chaturvedi)** in the Chair.

## THE BUDGET (GENERAL), 1998-99

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): Mr. Vice-Chairman, Sir, I beg to lay on the Table, a statement (in English and Hindi) of the estimated receipts and expenditure of the Goverment of India for the year 1998-99.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): The House stands adjourned till 11.00 a.m. tomorrow.

The House then adjourned at two minutes past seven of the clock, till eleven of the clock on Tuesday, the 2nd of June, 1998.

MGIPRRND—71 GIPMR/99—300 Copies